

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर(म0प्र0)



क्रमांक: डीसीडीसी / 115

विश्वविद्यालय कार्यालय,  
सागर, दिनांक 01.09.2011

—: प्रमाण पत्र :-

8

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञानवीर महाविद्यालय, सागर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई संबद्धता-निरंतरता सत्र 2011-12 में भी जारी है।

1. बी.ए.—आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2. बी.काम.—सभी अनिवार्य विषय / कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित
3. बी.एससी.—आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी एवं नाइकोबायालाजी,,
4. बी.सी.ए.
5. पी.जी.डी.सी.ए.
6. एम.सी.एम.
7. बी.बी.ए. (ऑनर्स)
8. एम.ए.पूर्वाह्न—हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं अर्थशास्त्र
9. एम.काम.पूर्वाह्न
10. एम.एससी.पूर्वाह्न— बायोटेक्नालॉजी एवं गणित

*Naw*

कुलसचिव  
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

प्रति,

प्राचार्य,  
ज्ञानवीर महाविद्यालय,  
सागर (म0प्र0)

6

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा  
मध्य प्रदेश, भोपाल - 462 004

गोपाल दिनांक / / 2002

हमाक/1312/13/संबद्धता/2002/

प्रति

कुलसचिव,

विश्वविद्यालय

हरदोहरा गोर

(म०प्र०)

भारत

विषय:- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (दस) और 26(1) (पॉच) के अन्तर्गत  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत् ।

महोदय,

(संस्था का नाम) को

आपका नाम, भोपाल

(महाविद्यालय का नाम) में निम्नलिखित संकाय/विषय की

आपकी सेवा, भारत

कक्षाएं से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है:-

- 1- बी. ए. द्वितीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषित्व, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।
- 2- बी. एम. द्वितीय वर्ष - सभी उच्चवर्ग्य विषय ।
- 3- बी. एड. द्वितीय वर्ष
- 4- बी. एड. सी. द्वितीय - भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।
- 5- बी. एड. सी. ए. प्रथम वर्ष 6- बी. एड. सी. एम. प्रथम वर्ष
- 7- बी. एड. सी. प्रथम वर्ष - राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, उद्देश्यशास्त्र, एवं भूगोल ।

2. अगर महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति तक नहीं की गयी तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने बावत् कार्यवाही की जायेगी।

- 1- शिक्षकों की नियुक्ति
- 2- बुकबंदी की उपलब्धता
- 3- उपकरणों की उपलब्धता

3. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें यथावत रहेंगी।  
(अयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एस. जोनाथन)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल

(4)

~~(4)~~

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, समार §म०प्र०§

क्रमांक:

समिति/संख्या/2002/4448

विश्वविद्यालय कार्यालय,

समार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2002

// अधिसूचना //

परिचय 21 की कण्डिका 5 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में की गई अनुसूचियों को मान्यकर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 §4§ में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कुलाति महोदय ने आने आदेश दिनांक 10-12-2002 द्वारा अधोलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाते त्त्र एवं विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की है:-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	त्त्र ✓
1-	ज्ञानवीर महाविद्यालय, समार	बी०एस-सी० प्रथम वर्ष - कम्प्यूटर साइंस, वनस्पति शा० एवं प्राणिशा०	2002-03
		एम०सी०एम० प्रथम वर्ष तथा पी०जी०डी०सी०ए०	2002-03
2-	रेवानाथ गौरे कालेज आफ इन्फरमेशन टेक्नालजी, सीसर §छिंदवाडा§	एम०सी०एम० प्रथम वर्ष तथा पी०जी०डी०सी०ए०	2002-03
3-	श्रीनाथ महाविद्यालय, परासिवा §छिंदवाडा§	बी०सी०ए० प्रथम वर्ष	2002-03
		बी०काम० प्रथम वर्ष -कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित	2002-03
4-	वीरगंगा अक्कीबाई लोधी महाविद्यालय, उत्तरपुर	बी०सी०ए० प्रथम वर्ष	2002-03
		बी०काम० प्रथम वर्ष -कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित	2002-03
		बी०एस-सी० प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय सहित	2002-03

आदेशानुसार,

श्री कृष्ण लाल

§ डा० एस०के० केडे §  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1- संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विद्या परिषद की स्थायी समिति की संबंधित बैठक में लिये गये निर्णय के अंश में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

